



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 317 राँची, शुक्रवार,

12 आषाढ़, 1942 (श०)

3 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-687/2014-5515 (HRMS)-- श्री सुनील कुमार सिंह, नं०-2, झारखण्ड, (कोटि क्रमांक-729/03), तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी, एन०आर०एच०एम०, झारखण्ड के विरुद्ध स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-174, दिनांक 04.08.2014 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णय के आलोक में ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुबंध कर्मियों द्वारा बार-बार आंदोलन किये जाने से सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। आपके द्वारा कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही के कारण आंदोलन/हड़ताल की स्थिति बनी, जो कि एक गंभीर विषय है। कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आपका कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के विपरीत है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8764, दिनांक 01.08.2014 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए इन्हें स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में श्री सिंह के

पत्रांक-344, दिनांक 07.10.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) एन0भी0डी0सी0पी0 राज्य मलेरिया पदाधिकारी के अधीन था। मलेरिया पदाधिकारी के अधीन 1925 एम0पी0डब्ल्यू0 (मल्टीपरपस वर्कर्स) संविदा पर कार्यरत थे तथा भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा अप्रैल, 2014 के उपरान्त समाप्त कर दी जानी थी। एम0पी0डब्ल्यू0 के संविदा कर्मी श्री राहुल सिंह संविदा कर्मियों के अध्यक्ष थे एवं अपनी सेवा को बनाये रखने हेतु उनके द्वारा हड़ताल करा दिया जाता था।

(ख) एम0पी0डब्ल्यू0 से संबंधित कोई दायित्व प्रशासी पदाधिकारी के अधीन नहीं था।

(ग) एम0पी0डब्ल्यू0 के लम्बित मानदेय के भुगतान हेतु एन0आर0एच0एम0, झारखण्ड से लोन की राशि एन0आर0एच0एम0 के लेखा-सह-बजट पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी, उसमें प्रशासी पदाधिकारी का कोई दायित्व नहीं था।

(घ) माननीय मंत्री के निदेश के आलोक में एम0पी0डब्ल्यू0 सहित एन0आर0एच0एम0 के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निमित्त अभियान निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

(ङ) माननीय मंत्री के निदेश के आलोक में एन0आर0एच0एम0 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने हेतु पद सृजन समिति का गठन कर प्रस्ताव तैयार कर प्रतिवेदन विभाग में भेज दिया गया था।

(च) माननीय मंत्री के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के पी0आई0पी0 में एन0आर0एच0एम0 अंतर्गत अनुबंध कर्मियों हेतु भविष्य निधि इत्यादि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया था।

(छ) माननीय मंत्री के निदेश के आलोक में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्राथमिकता देने के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव की जिम्मेवारी राज्य कार्यक्रम समन्वयक एवं निदेशक प्रमुख को दी गई थी। यह मामला प्रशासी पदाधिकारी से संबंधित नहीं था।

(ज) सहियाओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान का मामला लेखा-सह-बजट पदाधिकारी से संबंधित है। माननीय मंत्री द्वारा निदेशक प्रमुख को निदेश दिया गया था तथा उनके द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की गई।

(झ) एम0पी0डब्ल्यू0 एवं एन0आर0एच0एम0 के अनुबंध कर्मियों के बार-बार हड़ताल पर जाने का मूल कारण उनके पद को समायोजित करते हुए स्थायी नियुक्ति हेतु दबाव बनाना था।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6790, दिनांक 28.08.2019 द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-393, दिनांक 13.12.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि-

(क) बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, भी0बी0डी0, अभियान निदेशक, एन0आर0एच0एम0, झारखण्ड एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं को कार्रवाई करनी थी। संपूर्ण कार्यवाही में प्रशासी पदाधिकारी, एन0आर0एच0एम0 को कोई भी दायित्व नहीं दिया गया है।

(ख) माननीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 01.08.2014 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के संयुक्त सचिव, प्रभारी निदेशक प्रमुख, राज्य मलेरिया पदाधिकारी एवं प्रशासी पदाधिकारी,

एन0आर0एच0एम0 उपस्थित थे। इस बैठक में अभियान निदेशक उपस्थित नहीं थे। कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बिन्दु पर अभियान निदेशक एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं को ही कार्रवाई करनी थी।

(ग) संपूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासी पदाधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई पूर्णतः अनुचित एवं बिना किसी ठोस आधार पर अथवा तथ्यों के बिना की गई है। विभागीय स्तर से बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नहीं होने के लिए निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं अथवा अभियान निदेशक, एन0आर0एच0एम0 से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई, न ही एन0आर0एच0एम0 से श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रशासी पदाधिकारी को सीधे बिना किसी तथ्यों के आधार पर दोषी मानते हुए प्रपत्र-‘क’ प्रेषित कर दिया गया।

(घ) बैठकों में लिये गये निर्णय नीति मूलक एवं अत्यधिक संख्या में कर्मियों के समायोजन से संबंधित है। ऐसे नीति मूलक निर्णयों में अभियान निदेशक, एन0आर0एच0एम0 एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं की भूमिका थी न कि श्री सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी, एन0आर0एच0एम0, झारखण्ड की।

श्री सिंह के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री सुनील कुमार सिंह, नं0-2, तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी, एन0आर0एच0एम0, झारखण्ड, सम्प्रति- सचिव, जियाडा, राँची को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR SINGH BHR/BAS/3640	श्री सुनील कुमार सिंह, नं0-2, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-729/03), तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी, एन0आर0एच0एम0, झारखण्ड को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
